संभाग पोस्ट

साप्ताहिक

RNI: MPHIN/2015/60688

जिलों से संभाग तक का सच

email:sambhagpost@gmail.com

वर्ष-9 | अंक-43 | प्रति मंगलवार, इंदौर, 24 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 | मूल्य- 2 रु. | पृष्ठ- 8

महादेव के नाम पर 'महा-घोटाला'

CEO कंचन डोंगरे
जनपद पंचायत भगवानपुरा

आस्था की आड़ में

'अवैध वसूली' का खेल !

SPECIAL REPORT

✍ नवीन गलकर

सरपंच-सचिव का 'अवैध वसूली' तांडव, पंचायत के खातों में सन्नाटा!

खरगोन/सिरवेल । महाशिवरात्रि का पावन पर्व सिरवेल महादेव में श्रद्धा का सैलाब लेकर आता है, लेकिन इस बार श्रद्धा के इस मेले में 'भ्रष्टाचार का झूला' बड़ी तेजी से घूमा है। भगवान शिव के दरबार में ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन खरगोन की ग्राम पंचायत सिरवेल में तो 'भ्रष्टाचार का डमरू' बज रहा है। ग्राम पंचायत सिरवेल के मुखिया और सचिव ने मिलकर वह कारनामा कर दिखाया है, जिसे देख कर महादेव के भक्त भी हैरान हैं। महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर आयोजित मेले में जो कुछ हुआ, उसने पंचायत राज की शुचिता को तार-तार कर दिया है। आरोपों के घेरे में हैं पंचायत के सरपंच और सचिव, जिन्होंने मेले के नाम पर दुकानदारों, झूला संचालकों और व्यापारियों से अवैध वसूली का ऐसा 'महासंगम' रचा कि सरकारी खजाना तो खाली रह गया, पर खुद की तिजोरियाँ लबालब हो गईं।

नियमों की किताब कहती है कि मेले से प्राप्त हर एक पाई पंचायत के अधिकृत बैंक खाते में जमा होनी चाहिए। लेकिन सिरवेल में तो नियम-कायदे शायद 'भांग' के नशे में सो रहे थे। न कोई सही रसीद, न कोई पारदर्शी प्रक्रिया—बस सीधा वसूली का खेल! सवाल यह है कि लाखों की यह राशि आखिर किस 'निजी गुल्लक' में समा गई? क्या ग्राम पंचायत के ये कर्ताधर्ता खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं? न तो प्रक्रियाओं का पालन हुआ और न ही पारदर्शिता की चिंता की गई। स्थानीय लोगों की मानें तो यहाँ अवैध उगाही का एक ऐसा नेटवर्क चलाया गया, जिसमें रसीद कटी कम और 'सीधा सौदा' ज्यादा हुआ।

जब 'संभाग पोस्ट' ने इस गड़बड़झाले को लेकर जनपद पंचायत भगवानपुरा की सीईओ कंचन डोंगरे से संपर्क किया, तो पहले तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई। लेकिन जब तथ्यों के साथ दोबारा बात की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि 'हाँ, राशि पंचायत के अकाउंट में जमा नहीं हुई है और प्रक्रियाओं की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं।' हैरत की बात देखिए, मैडम का तर्क है कि उनका यह 'फर्स्ट टाइम' (पहला मौका) था। वाह! क्या प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी अपनी अनुभवहीनता की आड़ में भ्रष्टाचार को पनपने का लाइसेंस दे सकते हैं? अगर आप नई हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि नीचे के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर जनता का पैसा डकार जाएँगे? खैर, उन्होंने जाँच का भरोसा तो दिया है, लेकिन यह जाँच कितनी निष्पक्ष होगी, यह वक्त बताएगा।

सिरवेल पंचायत की इस मनमानी को भगवानपुरा जनपद के मौजूदा हालातों से जोड़कर देखना जरूरी है। अभी हाल ही में लोकायुक्त ने यहाँ के लेखा अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा था मामले में जनपद पंचायत भगवानपुरा की सीईओ कंचन डोंगरे का भी नाम सामने आया था। जब जनपद कार्यालय में कमीशन का ऐसा 'ऑफर' खुलेआम चल रहा हो, तो सिरवेल पंचायत के सरपंच-सचिव के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। जनपद स्तर पर 'मैडम' के नाम पर 5 प्रतिशत का सरेआम सौदा हो रहा हो, तो सिरवेल पंचायत के सरपंच-सचिव को कौन रोक सकता है? क्या मेले की इस बंदरबांट का हिस्सा भी ऊपर तक जाना था, इसीलिए सब मौन थे?

हमने केवल खबर नहीं छापी, बल्कि कलेक्टर खरगोन के दरवाजे पर दस्तक देकर इस भ्रष्ट गठजोड़ की शिकायत दर्ज कराई है। हम पूछना चाहते हैं मेले की काली कमाई का हिसाब कौन देगा? बिना प्रक्रिया के मेले की बंदरबांट करने वालों पर FIR कब होगी?

क्या 'फर्स्ट टाइम' की आड़ में घोटालेबाजों को अभयदान दिया जाएगा? सिरवेल के महादेव सब देख रहे हैं, और अब 'संभाग पोस्ट' के माध्यम से जनता भी देख रही है। जाँच के नाम पर फाइलों को दबाने की कोशिश न की जाए, वरना इस 'कमीशन राज' के चेहरों को बेनकाब करने में हम पीछे नहीं हटेंगे।

अजब इंदौर की गजब पुलिस, थानेदार का 'झूठ' अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पकड़ेंगे ?

समाचार पृष्ठ 8 पर

सुविचार

लग चुकी है तलब जीत की अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे..!! ...

संपादकीय

जहाजों पर हमले अस्वीकार्य

लंदन में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के 36वें सत्र को संबोधित करते हुए ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरैस्वामी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच व्यापारिक जहाजों पर हमले को अस्वीकार्य बताकर जरूरी हस्तक्षेप किया है. उनका कहना था कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, नागरिक दल को खतरे में डालना और होर्मुज जलडमरूमध्य सहित अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से सुरक्षित नौवहन में बाधा डालना अस्वीकार्य है. अपने संबोधन में उन्होंने नाविकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए संयम बरतने और संवाद के जरिये तनाव कम करने का आह्वान किया. उनका कहना था कि भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार होर्मुज जलडमरुमध्य में सुरक्षित आवाजाही पर निर्भर हैं, लिहाजा ऐसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में किसी प्रकार की बाधा के दूरगामी परिणाम होंगे. अंतरराष्ट्रीय नौवहन संगठन (आइएमओ) परिषद ने भी जहाजों की सुरक्षा के लिए सामूहिक सहयोग की जरूरत पर बल दिया है. गौरतलब है कि इस जंग में अब तक करीब 16 तेल टैंकरों, मालवाही जहाजों और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया है. जबकि अनुमानित 23,000 भारतीय नाविक इससे प्रभावित हुए हैं. फिलहाल फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज कार्यरत हैं, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में 22 जहाजों पर भारतीय चालक दल के 611सदस्य और जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित दो जहाजों पर 47 नाविक सवार हैं. ऐसे में, भारत ने सूचना साझाकरण ढांचे को बेहतर बनाने सहित समुद्री निगरानी और तैयारियों को और मजबूत किया है. दोरैस्वामी ने आइएमओ महासचिव द्वारा जारी सूचना साझा करते हुए बताया कि मारे गये सात नाविकों में तीन भारतीय नाविक थे, जबकि चार अन्य घायल हुए और एक अब भी लापता है. नौवहन क्षेत्र में 13 फीसदी की वैश्विक भागीदारी रखने वाला भारत मौजूदा संकट के बीच नाविकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित है और इसने सभी देशों के नाविकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाये हैं, जिनमें चौबीसों घंटे हेल्पलाइन, जहाजरानी महानिदेशक द्वारा गठित त्वरित प्रतिक्रिया दल और प्रभावित चालक दल और उनके परिवारों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित एक समर्पित नियंत्रण कक्ष शामिल हैं. दोरैस्वामी ने इस पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बनाये रखा जाना चाहिए.

इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय का ईद मिलन समारोहः व्यापार और सद्भावना का संगम

इंदौर । संभाग पोस्ट

ईद के पावन अवसर पर इंदौर के दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा एक भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन श्एँ स्कूल के नव निर्मित भवन, मानिक बाग रोड में किया गया, जिसने खुशियों के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द और व्यापारिक सहयोग की अनूठी मिसाल पेश की। यह आयोजन न केवल पर्व की उल्लासपूर्ण भावना का प्रतीक बना, बल्कि विभिन्न समुदायों और व्यापारिक संगठनों को एक मंच पर लाकर आपसी समझ और विश्वास को भी सुदृढ़ करने में सफल रहा।

समारोह में दाऊदी बोहरा समाज के मुख्य आमिल जनाब शब्बीर भाईसाहब (सैफी नगर, इंदौर) की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी जी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, विधायक मधु वर्मा जी, शहर काजी इशरत अली जी सहित शहर के प्रमुख गणमान्यजन उपस्थित रहे।

मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष अजित सिंह नारंग, सचिव सुरेश हरियानी, कार्यवाह अध्यक्ष मनजीत सिंह चावला, उपाध्यक्ष डॉ. संतोष वाधवानी, व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष आमिर इंजीनियर वाला, ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी को ईद की शुभकामनाएँ दीं।

इसके अतिरिक्त सेवा सुरभि के संयोजक श्री ओम नरेडा, अहिल्या चैंबर के अध्यक्ष श्री रमेश खंडेलवाल, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल एवं लघु उद्योग भारती के श्री संजय पटवर्धन सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने समारोह की गरिमा को बढ़ाया।

बोहरा समाज की ओर से सचिव यूनुस सलीम, (जनसंपर्क अधिकारी) PRO मोहम्मद पीठावाला, ताहिर रतलामवाला, शेख खुज़ेमा पेटीवाला, मजहर हुसैन सेठजीवाला, इंजीनियर कुतुब भाई, शब्बीर क्वालिटी बैग तथा अम्मार फहीम विशेष रूप से उपस्थित रहे और सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया।

यह ईद मिलन समारोह विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बना। उपस्थित सभी लोगों ने एक-दूसरे को ईद की बधाइयाँ दीं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सामाजिक एकता का संदेश दिया। ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक समरसता को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि व्यापार और उद्योग जगत में भी सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं।

दाऊदी बोहरा समुदाय का यह सराहनीय प्रयास इंदौर के सामाजिक ताने-बाने को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब विभिन्न वर्ग और समुदाय एक साथ आते हैं, तो समाज में विश्वास, सहयोग और प्रगति की नई राहें खुलती हैं। भविष्य में भी ऐसे आयोजन निरंतर होते रहें, यही कामना है।

हर दुकान पर अग्निशमन यंत्र अनिवार्य किया जाए

कलेक्टर धारा 163 के तहत जारी करें आदेश

डॉ संतोष वाधवानी
इंदौर संभाग अध्यक्ष केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन

इंदौर । संभाग पोस्ट

केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन , नई दिल्ली के इंदौर संभाग प्रभारी डॉ. संतोष वाधवानी ने इंदौर कलेक्टर से मिलकर यह मांग की, कि उनके द्वारा धारा 163 के अंतर्गत इंदौर के छोटे छोटे तंग गलियों में बसे बंजारों की दुकानों में अग्निशमन यंत्र को अनिवार्य किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाएं।

भविष्य में अग्निकांड रोकने के लिए आवश्यक : उल्लेखनीय है हाल ही में सराफा बाजार के अंतर्गत जिस प्रकार से अग्निकांड हुआ वह अत्यंत भयावह है। अध्यक्ष डॉ. संतोष वाधवानी का कहना है कि ऐसे छोटे बाजारों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अथवा अन्य व्यवस्था भी नहीं हो सकती है जिसकी वजह से बड़ी जनहानि होने की संभावना बनी रहती है इसीलिए यह अति आवश्यक है कि अग्निकांड से बचने के लिए सुरक्षा उपकरणों के अनिवार्यता ऐसे बाजारों में हमेशा रहे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा ना हो। इसके पूर्व भी डॉ.संतोष वाधवानी द्वारा यह मांग उठाई गई थी। केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के इस प्रतिनिधि मंडल में संगठन के अन्य पदाधिकारी गण सर्व श्री नितिन सहजवानी, गगनदीप सिंह भाटिया , पवन कुकरेजा इत्यादि भी उपस्थित थे।

रोजमर्रा के कानूनी विषयों पर ५००० से अधिक वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले

इंदौर के एडवोकेट और विधि विशेषज्ञ डॉ. पंकज वाधवानी मध्य प्रदेश में प्रथम

सोशल मीडिया के माध्यम कानूनी जागरूकता फैला रहे हैं लॉ एक्सपर्ट डॉ. पंकज वाधवानी... रोजमर्रा की कानूनी दिक्कतों पर रोज एक वीडियो लेक्चर

इंदौर । संभाग पोस्ट

हाईकोर्ट अधिवक्ता और लॉ प्रोफेसर पंकज वाधवानी द्वारा वर्ष 2020 में लॉकडाउन से आम लोगों के हितों कि की रक्षा हेतु कानूनी जागरूकता संबंधी रोज एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क अपलोड करना प्रारंभ किया था , यह क्रम पिछले 6 वर्षों से निरंतर चल रहा है और अभी तक 5000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कानूनी दिक्कतों एवं उनके समाधान को लेकर जारी कर चुके हैं। अधिवक्ता डॉ. पंकज वाधवानी का शुरू से ही ध्येय रहा है कि निःशुल्क कानूनी परामर्श प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए क्योंकि विधिक साक्षरता से आने वाली समस्याएं और विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं जो कि ना सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति के हित में होता है बल्कि यह समाज और राष्ट्र के हित में है।

संस्था न्यायाश्रय — Let Justice be done... May heaven falls.

वसीयत, बीमा क्लेम, संपत्ति विवादों पर देशभर से आते हैं फोन कॉल

लॉ लेक्चरर और पंकज वाधवानी द्वारा आम व्यक्तियों को आए दिन जूझने वाली समस्याओं के विषयों पर अपलोड किए गए वीडियो में जैसे वसीयत ड्राफ्ट करते समय किन बातों का ख्याल रखें , मेडिक्लेम तथा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें, खाली पड़े प्लॉट पर कोई व्यक्ति अवैधानिक कब्जा कर ले तो क्या किया जाए, पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं की जाती है, तो उसके लिए क्या कानूनी उपचार है इत्यादि विषयों पर देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों से फोन कॉल आते हैं जिस पर वाधवानी उन्हें निशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराते हैं। पंकज वाधवानी द्वारा Law Easy के नाम से यूट्यूब चैनल 23 अगस्त 2020 से प्रारंभ किया था जो कि भारत में ही नहीं पाकिस्तान, नेपाल, यूएई, अमेरिका इत्यादि देशों में भी देखा जा रहा है।

५ वर्षों में ४ लाख से ज्यादा फॉलोवर

इंदौर के वकील पंकज वाधवानी के पिछले 5 वर्षों में 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं

उल्लेखनीय है अधिवक्ता पंकज वाधवानी द्वारा एलएलबी मे तीनों वर्ष विश्वविद्यालय में प्रथम रैंक प्राप्त कर तीन स्वर्ण पदक हासिल किए, उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नेट परीक्षा दो बार कानून विषय में उत्तीर्ण की और निरंतर अध्ययन जारी रखते हुए सात विषयों में m.a., 20 से अधिक विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा इत्यादि अर्जित करते हुए वर्तमान में भी अध्ययनरत हैं। लॉकडाउन के दौरान कानून के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार किया जाए इस पर भी निरंतर रिसर्च करते रहे हैं।

जनता की उम्मीद या अफसरों का बोझ?

जब 'स्मार्ट वर्क' हार जाए 'साहबी सिस्टम' से

✍अभिजीत रावकर

बात अभी कुछ दिन पहले की ही है। मैं अपने सीनियर के साथ 'संभागायुक्त कार्यालय' इंदौर पहुँचा था। हमारे वहाँ जाने का कारण कोई आधिकारिक काम नहीं, बल्कि एक शिष्टाचार भेंट थी। मेरे सीनियर जिनसे मिलने गए थे, वे उनके पुराने पारिवारिक मित्र होने के साथ-साथ संभागायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ पद पर आसीन हैं। उम्र और तजुर्बे में भी वे सीनियर ही हैं। वहीं उसी कार्यालय में कुछ अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे, जिनसे मेरे सीनियर का सामान्य परिचय था।

चाय की चुस्कियों के बीच शिष्टाचार की बातें शुरू हुईं, लेकिन चूंकि हम मीडिया से थे और वे शासन के पहिए, तो बात घूम-फिरकर व्यवस्था और प्रक्रियाओं पर आ ही गई। मुझे उम्मीद थी कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति व्यवस्था सुधारने के विजन पर बात करेगा, लेकिन वहां जो सुना, उसने लोकतंत्र की 'लोक' वाली परिभाषा ही धुंधली कर दी। बातों-बातों में जब शिकायतों के अंबार और जनता की उम्मीदों का जिक्र आया, तो साहब के चेहरे पर शिकन उभर आई। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा, 'शिकायतकर्ता शिकायत करते ही यह उम्मीद पाल लेता है कि बस अब उसका काम हो जाए। उसे पता भी है कि यह संभाग कितना बड़ा है? क्या हम सिर्फ उसी के लिए यहां बैठे हैं?' यह शब्द मेरे कानों में किसी तीखे प्रहार की तरह लगे। जिस पद के लिए उन्हें शासन ने समस्त सुख-सुविधाएं, प्रोटोकॉल और अधिकार दिए हैं, उसी पद पर बैठकर जनता की उम्मीदों को 'बोझ' बताना मुझे जिम्मेदारी से बचने जैसा लगा। प्रक्रियाओं का रोना रोते हुए उन्होंने बताया कि एक साधारण से पत्र को अपनी सही जगह पहुंचने में ही आठ दिन लग जाते हैं। उसके बाद वह पत्र 'साहब' की टेबल पर अगले पंद्रह दिनों तक धूल फांकता रहता है। यानी एक इंसान जिसे न्याय की उम्मीद है, उसकी फाइल का सफर शुरू होने से पहले ही वह अपनी आधी उम्मीद खो चुका होता है?

मैंने मन ही मन सोचा—आज के डिजिटल युग में, जब सरकार ई-गवर्नेंस और पेपरलेस ऑफिस के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, तब भी फाइलों का यह भौतिक सफर इतना धीमा क्यों है? हर कार्यालय की अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी होती है, फिर उस पत्र को तुरंत स्कैन करके ईमेल क्यों नहीं किया जाता? सरकार जिस 'स्मार्ट वर्क' पर करोड़ों खर्च कर रही है, उसे ये अधिकारी अपनी सुस्ती से 'हार्ड वर्क' में क्यों बदले हुए हैं? जिसे साहब 'हार्ड वर्क' का नाम देकर अपनी व्यस्तता सिद्ध कर रहे थे, वह दरअसल उनकी अपनी ही बनाई हुई जटिल व्यवस्था थी जिसे वे 'स्मार्ट वर्क' में बदलना ही नहीं चाहते।

हैरानी तब और बढ़ी जब वहां मौजूद एक युवा कर्मचारी ने भी सुर में सुर मिलाया। उसकी बातों में सूचना का अधिकार और जनहित के कानूनों के प्रति एक अजीब सी नफरत थी। वह उन कानूनों को 'काम में बाधा' मान रहा था, जो दरअसल पारदर्शिता के लिए बनाए गए थे। लगा जैसे व्यवस्था का पुराना जंग अब नई

पीढ़ी के खून में भी घुल रहा है। कार्यालय के युवा कर्मचारि का जनहित के कानूनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और भी चिंताजनक है। यदि प्रशासन पारदर्शी और ईमानदार है, तो उसे सूचना साझा करने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सूचना का अधिकार जैसे कानून अधिकारी को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए हैं, न कि उनके काम में बाधा डालने के लिए।

मैं वहां मौजूद था, देख रहा था और सुन रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और सीनियर की उपस्थिति ने मेरे शब्दों पर लगाम लगा रखी थी। मैं पूछना चाहता था कि साहब, पद के साथ शक्तियां इसीलिए दी जाती हैं ताकि आप उन जिम्मेदारियों को उठा सकें, न कि उन्हें बोझ बताकर पल्ला झाड़ लें।

संभागायुक्त कार्यालय न्याय की उम्मीद का एक बड़ा केंद्र होता है। यदि वहां बैठा अधिकारी शिकायतकर्ता की अपेक्षा को 'बोझ' समझने लगे, तो आम आदमी की व्यवस्था से आस्था डगमगाना स्वाभाविक है। प्रशासन को यह समझना होगा कि वे जनता के लिए बैठे हैं, जनता उनके लिए नहीं। जिस दिन 'हार्ड वर्क' को 'स्मार्ट वर्क' में बदला जाएगा और 'क्या सिर्फ तुम्हारे लिए बैठे हैं' की जगह 'हम आपके लिए ही यहाँ हैं' का भाव आएगा, उसी दिन सुशासन की सही मायने में शुरुआत होगी।

वहां से बाहर निकलते वक्त मुझे लगा कि व्यवस्था जटिल नहीं है, उसे जटिल बनाए रखा गया है। क्योंकि अगर चीजें 'स्मार्ट' हो गईं, तो फिर 'साहब' होने का वह पुराना अहंकार कैसे बचेगा?

गैरेज में ब्लास्ट के बाद जली 6 कारें

अस्पताल तक पहुंची आग की लपटें, बाल-बाल बचे मरीज

इंदौर । संभाग पोस्ट

चोइथराम अस्पताल के नजदीक स्थित लेकपार्क कॉलोनी में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब यहां स्थित एक गैरेज में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजेंद्र नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया गया।

6 कारें जलकर हुई खाक

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस गैरेज में यह अग्निहादसा हुआ वहां 6 कारें खड़ी थीं। आग की चपेट में आने के कारण ये 6 कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। दमकलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर समय रहते काबू पा लिया जिससे यह आसपास के रिहायशी इलाकों में नहीं फैल सकी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

अस्पताल की दीवार से सटा था शेड

फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि यह गैरेज चोइथराम अस्पताल के ठीक सामने स्थित एक ऑटो डीलिंग कंपनी का है। यहां पुरानी कारों की रिपेयरिंग और उन्हें बेचने का काम किया जाता है। जिस शेड में आग लगी थी वह सीधे तौर पर अस्पताल की दीवार से सटा हुआ था। खतरा भांपते हुए सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन की ओर से ही पानी डालकर आग को रोकने की कोशिश की गई थी। दमकल विभाग के अनुसार गैरेज में मौजूद कलर स्प्रे और अन्य ज्वलनशील रसायनों की मौजूदगी के कारण आग ने भयावह रूप धारण कर लिया था।

सांवेर रोड पर भी हुआ था हादसा

उल्लेखनीय है कि इंदौर में आगजनी की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले रविवार सुबह भी सांवेर रोड स्थित नरवल क्षेत्र के एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई थी। मोहम्मद इरफान के इस गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक स्क्रैप रखा था जिसके चलते काला धुआं दूर-दूर तक फैल गया था। उस दौरान पास ही बने मजदूरों के क्वार्टरों तक आग पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था जिसके बाद मजदूरों ने अपना सामान घरों से बाहर निकाल लिया था। पुलिस इन दोनों ही मामलों में आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

गैस सिलेंडर चपेट में आने से बचा

गैरेज के पास की एक दुकान पर एक गैस सिलेंडर भी रखा था जिसे समय रहते निकाल लिया गया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि दूर से ही नजर आ रही थी। आसपास की दुकानों को भी आग की वजह से नुकसान हुआ है।

1 अप्रैल को निकलेगी श्री चिंतामण हनुमान मंदिर की भव्य शोभायात्रा

शाम 5 बजे मंदिर परिसर से होगी शुरुआत, विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी यात्रा

इंदौर । संभाग पोस्ट

एम.आर. 9 रोबोट चौराहा स्थित श्री चिंतामण हनुमान मंदिर से 1 अप्रैल को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह शोभायात्रा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, शोभायात्रा शाम 5 बजे मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर रोबोट चौराहा, एमआर-9, बर्फानी धाम क्षेत्र सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में संपन्न होगी। मंदिर के मुख्य पुजारी एवं अध्यक्ष पंडित शैलेंद्र जोशी ने बताया कि शोभायात्रा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आयोजन में भजन मंडलियां, ढोल-नगाड़े, आकर्षक झांकियां महाकाल डमरू मंडल और भगवान भोलेनाथ एवं महाकाली स्वरूप में कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। यात्रा में भगवान हनुमान की भव्य पालकी एवं रथ में सजी नन्हे मुन्ने बच्चों की श्री राम दरबार की झांकी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही, विभिन्न स्थानों पर मंच बनाकर शोभायात्रा का स्वागत किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि सभी श्रद्धालु भगवा ध्वज और पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर आयोजन को भव्य बनाएंगे। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

सीएम हेल्पलाइन में इंदौर 8वें पायदान पर लेकिन 10 विभागों ने बिगाड़ी तस्वीर

6600 से ज्यादा शिकायतें 50 दिन से लंबित, 20 प्रतिशत मामलों में सुनवाई तक नहीं,10 विभाग सी और डी ग्रेड में लुढ़के

इंदौर । संभाग पोस्ट

सीएम हेल्पलाइन की ताजा समीक्षा में इंदौर जिला भले ही इस सप्ताह प्रदेश में 8वें स्थान पर पहुंच गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि कई विभाग गिनी-चुनी शिकायतों का भी निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वे फिसलकर सी और डी ग्रेड में पहुंच गए हैं। जिला भले ही टॉप 10 में शामिल है, लेकिन 6600 से ज्यादा शिकायतों का 50 दिन से लंबित रहना सिस्टम की पोल खोल रहा है। सिर्फ फरवरी में 4485 नई शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन पुरानी फाइलें धूल खा रही हैं। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि करीब 20 प्रतिशत मामलों में सुनवाई तक नहीं हो रही यानी शिकायत दर्ज करो और भूल जाओ।

अधिकारियों के नहीं सुनने पर आवेदक मुख्यमंत्री तक गुहार लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्य 25 विभागों की सूची में गृह विभाग की 2815 शिकायतें 50 दिन से ज्यादा लंबित पड़ी है, वही राजस्व विभाग जैसे मुख्य विभाग की 1064 शिकायतें लंबित और रैंकिंग में सीधा 28वां स्थान पर है। नगरीय विकास विभाग भी पीछे नहीं है। यहां 874 शिकायतें लंबित हैं, जबकि इसी विभाग की सबसे ज्यादा 1527 नई शिकायतें दर्ज हुई हैं। कलेक्टर के निर्देश और सख्ती के बाद महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग ने आवेदकों की सुनवाई कर संतुष्टि पूर्ण निराकरण करते हुए ग्रेड सुधारी है और दोनों ही विभाग बी ग्रेड में शामिल हो गए हैं।.

गिनी-चुनी शिकायतें भी नहीं निपटा पा रहे

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ विभागों के पास शिकायतें कम हैं, फिर भी वे फेल साबित हो रहे हैं। सहकारिता विभाग में सिर्फ 3 लंबित शिकायतें है, फिर भी डी ग्रेड में है । वन विभाग की 8 लंबित, शिकायतो के कारण डी ग्रेड मिला है। लोक निर्माण विभाग की 11 लंबित शिकायते होने के कारण सी ग्रेड मिला है। यानी कम काम होने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। हालांकि सरकारी फंड नही मिलने की वजह से 10 विभाग सी और डी ग्रेड में फिसल गए हैं। इनमें जनजातीय, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग सहकारिता, सामान्य प्रशासन, और पंचायत विभाग शामिल हैं।

सुस्त विभागों की सूची

गृह विभाग-	2815 लंबित
राजस्व विभाग-	1064 लंबित
नगरीय विकास-	874 लंबित
चिकित्सा शिक्षा-	296 लंबित
अनुसूचित जाति कल्याण-	319 लंबित
जनजातीय कार्य-	214 लंबित
पिछड़ा वर्ग-	134 लंबित
श्रम विभाग-	127 लंबित
स्कूल शिक्षा-	83 लंबित
कृषि विभाग-	80 लंबित

नई गाइड लाइन के साथ इन क्षेत्रों को मिलेगी रजिस्ट्री की सौगात

इंदौर । संभाग पोस्ट

नई गाइड लाइन (2026-2027) लागू होने के साथ ही यह शहर की कई कॉलोनियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगी। नई गाइड लाइन के साथ ही यहां पर रजिस्ट्री की अनुमति भी मिल जाएगी। नई गाइड लाइन के पहले ही इंदौर की प्रॉपर्टी गाइड लाइन में 91 नई कॉलोनियां शामिल हो चुकी हैं। अब अप्रैल में 10 और नई कॉलोनियों को गाइड लाइन में शामिल किया जाएगा और फिर यहां पर भी रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इसके बाद इन कॉलोनियों में प्लॉटधारक या प्रॉपर्टी लेने वाले रजिस्ट्री करवा सकेंगे।

फरवरी में इंदौर पंजीयन विभाग ने 101 कॉलोनियों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मुख्यालय से 10 कॉलोनियों में अलग-अलग तरह की विसंगति होने से उन्हें रोक दिया गया था। अब इन्हें अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइड लाइन में जोड़ लिया जाएगा। जिन 10 कॉलोनियों को छोड़ा है, उनमें लोकेशन की प्रस्तावित दरों में कुछ विसंगतियां थीं। इसलिए फिलहाल उन्हें छोड़ा गया है। मालूम हो, सितंबर में 101 कॉलोनियों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 91 को गाइड लाइन में शामिल कर लिया गया है और दस बची हुई हैं। इन्हें शामिल करने से आम लोगों को तो फायदा होगा ही, शासन को भी राजस्व मिलेगा। इन बची हुई कॉलोनियों में अप्रैल में ही 100 से ज्यादा रजिस्ट्री होने के आसार हैं।

अब अप्रैल में इन 10 कॉलोनी/लोकेशन को मिलेगी मंजूरी

वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति मंजुलता पटेल ने कहा कि यदि सब सामान्य रहा तो नई 10 कॉलोनी को भी अप्रैल में मंजूरी मिल जाएगी। इनमें श्री कन्हैया विहार लिंबोदी, नंदमहल कॉलोनी खजराना, सिद्धि विनायक रेसीडेंसी खजराना, ट्यूलिप पार्क ब्राह्मणखेड़ी, शांति पैराडाइज लीला एस्टेट बारोली, शंकरा निकेतन बारोली, गुरुकृपा रेसीडेंसी गारीपिपल्या, शंकरा निकेतन एक्सटेंशन बारोली, तत्व ग्रीन मुकाता, वरदानिया एस्टेट मांगलिया सड़क शामिल हैं।

इन कॉलोनियों को मिल गई रजिस्ट्री की अनुमति

91 कॉलोनियों को फरवरी में ही रजिस्ट्री की अनुमति मिल चुकी है। इनमें सिंगापुर इंडस्ट्रियल पार्क, मंगला क्लासिक, रुद्राक्ष आनंद, धन सिटी, हीरा रेसीडेंसी एमवीएस आरंभ, बीसीएम पनास, एसएमजी हिल्स, क्लासिक मिडोस, नवरतन गोल्ड, पार्वती विहार, सार्थक स्क्वेयर, अक्ष नीम पाम, स्कॉय प्रीमियम सिटी, लीफ आइडियल, प्रणाम परिसर, बुल वेल एमिनेंस, मां गिन्नी विलास, श्रीनाथ गंगा सिटी, कृष्णा प्राइड, श्रीनाथ चंदन सिटी, श्री करणी कुंज, लीफ सिटी, ड्रीम कनक कॉरिडोर गोल्ड, शांति एलाइट, शांति सॉलिटेयर, पीएम एलाइट, विमल श्री हिल्स, दीप चित्रा पार्क, श्रीकृपा ग्रीन्स, प्रकृति विहार-बाल्याखेड़ी, श्री स्वस्तिक बिजनेस पार्क, स्काय मेगासिटी, शांति विहार एक्सटेंशन, पार्वती पार्क, वर्धमान आईरिश कॉरिडोर, अलक्क्षा कॉरिडोर बी, ल्यूमिनस कॉरिडोर-3 व अहाना रेसीडेंसी सहित अन्य कॉलोनियां शामिल हैं।

फायर सेफ्टी पर कलेक्टर का कड़ा रुख

15 दिन का अल्टीमेटम और फिर होगी बड़ी कार्रवाई

इंदौर । संभाग पोस्ट

कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक संपन्न हुई, जिसमें राजस्व विभाग, नगर निगम, फील्ड बिल्डिंग ऑफिसर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा शहर की बहुमंजिला व्यावसायिक और अन्य इमारतों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाना था। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

सुरक्षा मानकों के लिए मिली 15 दिन की मोहलत

बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि जी+3 और उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी कमर्शियल एवं अन्य इमारतों के स्वामियों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें अपने फायर सेफ्टी प्लान और सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह से दुरुस्त करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद यदि किसी भी भवन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई, तो संबंधितों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज से शुरू होगा सघन निरीक्षण अभियान

निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में विशेष दलों का गठन किया गया है। यह दल सोमवार से ही शहर की विभिन्न इमारतों में जाकर फायर सुरक्षा मानकों का जायजा लेना शुरू कर देंगे। कलेक्टर वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान रैंडम जांच भी की जाएगी ताकि व्यवस्थाओं की वास्तविकता का पता चल सके। जांच का मुख्य केंद्र अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, उनकी कार्यक्षमता और आपातकालीन निकासी मार्गों की स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भवनों ने नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए हैं अथवा नहीं।

अवैध निर्माण भी हटाए जाएंगे

बैठक के दौरान यह गंभीर तथ्य भी सामने आया कि कई भवनों में निर्माण के पश्चात अतिरिक्त या अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज का सीधा उल्लंघन है। कलेक्टर ने ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध हिस्सों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाने की कार्रवाई भी की जाए।

अधिकारियों ने कहा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता

मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों ने फायर सेफ्टी मूल्यांकन के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई। इस पर कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को मानकों एवं प्रक्रियाओं की समुचित ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने अंत में दोहराया कि नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट को बाधा मुक्त रखना और फायर उपकरणों को वर्किंग कंडीशन में रखना अब अनिवार्य होगा।

प्रदेश में तीन सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय प्रारम्भ होने के बाद इंदौर में तैयारी

मेडिकल टूरिस्म को बढ़ावा देने में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा का होगा अहम योगदान

इंदौर । संभाग पोस्ट मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नवीन संकल्पना के साथ उपलब्ध कराने के लिए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था। इसके बाद शासन द्वारा चार सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय बनाये गए, इसमें इंदौर, जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चिकित्सालय भी खोले, जिसमें जबलपुर में पलमोनरी मेडिसिन के लिए, ग्वालियर में न्यूरोलॉजी के लिए और इंदौर में नेत्र से सम्बंधित बीमारियों के निवारण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है।

एमजीएम डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय प्रारम्भ कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। इनमें चिकित्सकों के लिए स्पेशल प्रोत्साहन पैकेज बनाए गए। जिसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर को डेढ़ लाख, एसोसिएट प्रोफेसर को ढाई लाख और प्रोफेसर को 3 लाख रुपये सैलरी रखी गयी। साथ ही प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत कंपाउंडिंग दर से इंक्रीमेंट निर्धारित किया गया। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी रखा गया, जिसमें उनके द्वारा किए गए इंटरवेंशन प्रोसीजर ऑपरेशंस के लिए उनके द्वारा जनरेट की गई रेवेन्यू का 20 प्रतिशत और सायंकालीन पैड ओपीडी में जनरेट किए गए रेवेन्यू का 50 प्रतिशत इंसेंटिव का प्रोविजन रखा गया। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के चिकित्सकों के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टर्स का क्लीनिकल समय सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं 5:30 बजे से 6:30 बजे इवनिंग राउंड के लिए समय निर्धारित किया गया। साथ ही 6:30 से 8:30 तक सायंकालीन पैड ओपीडी का समय निर्धारित किया गया।

सायं कालीन पैड ओपीडी का उद्देश्य उन मरीजों को आकर्षित करना है। जो मरीज प्राइवेट चिकित्सालय में महंगा उपचार ले रहे हैं। वर्तमान में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी की सेवाओं के लिए रुपए 1000 से लेकर 3000 तक निर्धारित है। इंदौर में एमजीएम सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में सायंकालीन ओपीडी केवल 600 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिशत दिवस के लिए निर्धारित की गई है, जो प्रचलित प्राइवेट चिकित्सालय की दरों की तुलना में 50 परसेंट से भी कम है। इसका उद्देश्य मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा ऐसे मरीजों तक पहुंचाना भी है जो प्रातः कालीन 10 रुपये की होती ओपीडी में बढ़ती हुई लाइन एवं भीड़ की वजह से नहीं आ पाते हैं ऐसी जनता जो शासकीय चिकित्सकों को दिखाना तो चाहती है लेकिन समय अभाव की वजह से दिन में नहीं आ पाती।

सायंकालीन ओपीडी प्रारंभ होने से ऐसे मरीज जो सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों की सेवाएं प्राइवेट चिकित्सालय से ले रहे हैं एवं महंगी दरों पर ले रहे हैं उन्हें सस्ती दरों पर प्राइवेट से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

डीन डॉ. घनघोरिया ने कहा कि अगर हम इस लक्ष्य में सफल होते हैं तो ऐसी स्थिति में इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध एमजीएम सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में एवं स्कूल आफ एक्सीलेंस फॉर ए चिकित्सालय में प्राइवेट में उपचार ले रहे हैं मरीजों को आकर्षित कर पाएंगे साथ ही इंदौर में शासकीय चिकित्सालय में मेडिकल टूरिज्म को भी आकर्षित कर पाएंगे। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि हम सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों की उपलब्धता एवं नियुक्तियां जो की कमी है की पूर्ति कर पाएंगे सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शासकीय सेवा में आने के लिए आकर्षित होंगे क्योंकि वर्तमान में अगर एक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा प्राइवेट चिकित्सालय में सेवाएं देता है तब ऐसी स्थिति में उसे कम से कम 5 लाख रुपए की प्रतिमाह सैलरी मिलती है। उसकी तुलना में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में सैलरी कम है लेकिन उनकी सेवाएं अगर वह सायंकालीन ओपीडी में देंगे और अच्छा कार्य करेंगे तो इंसेंटिव से 20 प्रतिशत राशि एवं ओपीडी से 50 प्रतिशत राशि कार्य करने वाले अच्छे चिकित्सकों को अच्छा पैकेज एवं आकर्षित कर पाएगी।

संभाग पोस्ट सामाजिक दृढ़ता संकल्प अभियान

अब आपकी आवाज होगी बुलंद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संग

आज के समाज में हम देख रहे हैं की शहरी परिवेश की बात करें या ग्रामीण परिवेश की आज के परिवेश में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है। आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करते-करते अपने आप को अकेला महसूस करता है , जब उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है की जब उसके परिवारजन या मित्र बंधु उसका साथ दे। तब वह पता है कि वह अकेला खड़ा है। यह आज के समाज का सत्य है। यह भारत के ७० प्रतिशत लोगों की सच्चाई है वह किसी भी प्रकार की समस्या में हो चाहे पारिवारिक या मानसिक, सामाजिक, प्रशासनिक या चिकित्सकीय हो ऐसी किसी भी समस्या में वह पाता है कि वह अकेला है। और यदि ऐसे मे किसी मोड़ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो तब वह नीरस हो जाता है, और किसी न किसी प्रकार की गलती कर बैठता है । समाज की ऐसी सबसे बड़ी समस्या को लेकर हमने सामाजिक दृढ़ता संकल्प का अभियान चलाया है जिसके तहत हम उन सभी ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमसे जुड़ेंगे तथा वे लोग जो हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं , हमारा प्रयास यह होगा कि ऐसी किसी भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हो जिस जगह पर वह सही है और उन्हें व्यवधान,समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में संभाग पोस्ट परिवार उनके साथ खड़ा है।

- समाज में एक कहावत प्रचलित है सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं हो सकता,
- ईश्वर की इसी प्रेरणा को हमारे मीडिया चैनल हमारे अखबार ने आत्मसात किया है और हम उन सभी समाज जनों के साथ खड़े हैं जिनके साथ सत्य है।
- ईश्वर सत्य का साथ देने वाले उनके अनुयायियों की सहायता करने स्वयं नहीं आते किंतु किसी न किसी माध्यम से सत्य का साथ दे रहे व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं।
- हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने यह मुहिम चलाई है जिसके तहत यदि आपके साथ सत्य है तो हम आपके साथ सदा खड़े हुए हैं
- हमारे चैनल और हमारे अखबार से जुड़े हुए सभी सदस्य गण जिनकी किसी भी प्रकार की परेशानी अब उनकी नहीं वह हमारी है।
- जब समाज दृढ़ होगा, सत्य की विजय होगी जब एकता और समान व्यवहार और ज्ञान होगा तब हमारा समाज एक नए भारत का दृढ़ निश्चय भारत का निर्माण कर पाएगा
- यदि आपका काम, स्वयं आप और आपका विचार, सत्य के साथ है तो वह आपका नहीं अपितु वह हमारा विचार होगा , क्योंकि आप भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ है
- अब आम आदमी की आवाज आम आदमी की नहीं अपितु उसके साथ हमारी भी आवाज होगी इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शीघ्र से शीघ्र जुड़े और अपनी आवाज को एक नया आयाम दें और अपने समाज को अपने परिवार को और अपने देश को सशक्त बनाएं
- हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कोई नया प्रयास नहीं करना केवल सामाजिक दृढ़ता संकल्प संभाग पोस्ट अभियान का एक फॉर्म भरना है

विचार न कीजिए तुरंत संपर्क करें: 9755648321

क्योंकि दृढ़ होगा समाज तो सशक्त होगा भारत और खुशहाल होगा हमारा परिवार

सत्यम,शिवम्,सुंदरम। सत्यमेव जयते

भारत माता की जय वंदे मातरम

अग्रवाल महासभा फाउंडेशन, मध्य प्रदेश में नई नियुक्तियों की घोषणा

भोपाल । संभाग पोस्ट

अग्रवाल महासभा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यासागर अग्रवाल जी ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश इकाई के विस्तार और मजबूती के लिए नई नियुक्तियों की घोषणा की है। फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के सर्वांगीण विकास, एकता और सामाजिक सरोकार के कार्यों को नई गति प्रदान करना है। इसी कड़ी में, संगठन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके दायित्व सौंपे गए है

नाम: राजेंद्र जी अग्रवाल प्रदेश उपा अध्यक्ष

नाम: महामंत्रीसंजू जियालालजी खंडवा

नियुक्ति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश:

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यासागर अग्रवाल ने नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, 'अग्रवाल महासभा फाउंडेशन हमेशा से समाज को एकजुट करने और जरूरतमंदों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की नई टीम अपनी ऊर्जा और निष्ठा से समाज के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करेगी और संगठन के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाएगी।'

नव-नियुक्त पदाधिकारियों ने इस जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और समाज सेवा के कार्यों को पूरी तत्परता से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। विद्यासागर अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिनेश जिंदल राष्ट्रीय सलाहकार, सुरेश रामपीपलिया राष्ट्रीय महामंत्री अग्रवाल महासभा फाउंडेशन।

'किसान सेवा सप्ताह' के अंतर्गत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

इंदौर । संभाग पोस्ट

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, इंदौर में 'किसान सेवा सप्ताह' के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं जानकारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यह बैठक भाजपा मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नारायण पटेल जी, प्रदेश मंत्री श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, सह मीडिया प्रभारी श्री विशाल पाठक जी, नगर महामंत्री श्री अनिल बोरासी जी सहित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान 'किसान सेवा सप्ताह' के अंतर्गत आयोजित होने वाले सेवा कार्यों, किसान सम्मान कार्यक्रमों एवं जनसंपर्क गतिविधियों की विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे पूर्ण समर्पण, एकजुटता एवं सक्रिय सहभागिता के साथ प्रत्येक कार्यक्रम को सफल बनाएंगे तथा अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचकर उन्हें इन गतिविधियों से जोड़ेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाना एवं किसानों के बीच सेवा, समर्पण और विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करना रहा।

एक दिन में तीन अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार

मानवता की मिसाल बनी श्री एकाक्ष सामाजिक सेवा संस्था

इंदौर । संभाग पोस्ट

शहर में जहां एक ओर लोग अपनों से दूरी बनाते जा रहे हैं, वहीं श्री एकाक्ष सामाजिक सेवा संस्था ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। संस्था के सदस्यों ने एक ही दिन में तीन लावारिस एवं जरूरतमंद शवों का पूर्ण विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर समाज को सेवा और संवेदना का सशक्त संदेश दिया। संस्था द्वारा किए गए इन अंतिम संस्कारों में एक 14 वर्षीय बालिका शामिल थी, जो मक्सी की निवासी थी। पारिवारिक स्थिति कमजोर होने और पिता के असमर्थ होने के कारण संस्था ने आगे आकर बेटी को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई जूनी इंदौर मुक्तिधाम में दी। इसके साथ ही एक लगभग 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 56 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष, जिनका कोई अपना सामने नहीं आया, उनका भी में पूरे रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार पंचकुइया मुक्तिधाम में किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर किए गए इस सेवा कार्य ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा में होती है। संस्था के नरेंद्र वर्मा, सुनील ठाकुर, सन्नी जैसवाल, कृष्णा सोनी और रामगोपाल श्रीवास्तव ने मिलकर इस मानवीय कार्य को अंजाम दिया। संस्था पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसे सेवा कार्यों में लगी हुई है, जहां वे उन लोगों को अंतिम सम्मान देते हैं, जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। यह कार्य न केवल संवेदनशीलता का उदाहरण है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि इंसानियत आज भी जिंदा है।

अग्रवाल महासभा फाउंडेशन की नई पहल!'

श्रीमती सोनिका केजरीवाल अध्यक्ष एवं कुँवर विवेक अग्रवाल मीडिया प्रभारी नियुक्त

इंदौर । संभाग पोस्ट

अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यासागर अग्रवाल जी ने श्रीमती दुर्गेश अग्रवाल मथुरा की अनुशंसा पर श्रीमती सोनिका केजरीवाल (इंदौर) की कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें

मध्य प्रदेश का 'महिला प्रदेश अध्यक्ष' मनोनीत किया है। और कुँवर विवेक अग्रवाल इंदौर को मध्यप्रदेश का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। समस्त अग्रवाल समाज सोनिका जी और कुंवर विवेक जी को इस नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता है। इस मनोनयन पर विद्यासागर अग्रवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुरेश राम पिपलिया राष्ट्रीय सलाहकार, दिनेश जिंदल इंदौर दुर्गेश अग्रवाल राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आदि ने बधाई दी। विनीतः समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य, अग्रवाल महासभा फाउंडेशन।

APPLIED FORENSIC SCIENCE LABORATORY

Email: afslindore23@gmail.com Mobile No: +91 9366381689 +91 9977649317

SERVICES

- Handwriting Examination.
- Signature Examination.
- Fingerprint Examination.
- Deleted Data Recovery from Mobile Phones, Hard Drive.
- Laptop, Desktop Computer, Pen drive.
- Complete Examination of Digital Instrument i.e. Mobile.
- phones, Laptop, Desktop Computers, in case of Hacking.
- Voice Analysis and Voice Comparison.
- Examination of Alteration in any Documents.
- Examination of Erased Writing.
- Examination of Audio Clips and Video Clips.
- Preparation of Fingerprint Records for Corporate Offices.
- Examination of Arson Cases.
- DNA Examination for Paternity and Maternity.
- Forensic Consultancy.
- Forensic Investigation of Insurance Claims.
- Property Investigation.
- Crime Scene Investigation.
- Audio Transcription.

FORENSIC EXPERT

Rakesh Mia
+91 93663 81689

Vijay Panchal
+91 9977649317

Head Office
Applied Forensic Science Laboratory
8/1, 2nd foor, Moti Tabela, Near
Collectorate Office, Indore, MP, 452007

Branch Office
Chandra Forensic Science
lab
Chandigarh/New Delhi

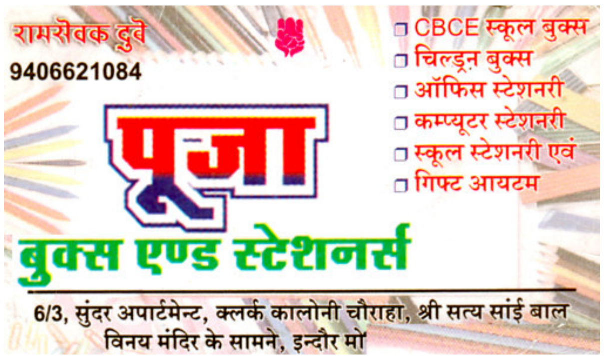

'जल प्रतिज्ञा के साथ गूंजा गौरैया–वन–जल उत्सव, प्रकृति संरक्षण का सामूहिक संदेश'

मालवमंथन द्वारा आयोजित 'गौरैया–वन–जल उत्सव' का आयोजन मानव सेवा ट्रस्ट, रेवती रेंज, भवरासला, इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के तीन महत्वपूर्ण आयाम—पक्षी, वन एवं जल को एक सूत्र में पिरोते हुए विविध गतिविधियाँ आयोजित की गईं...

इंदौर में पर्यावरणविदों ने की कान्ह नदी के घाटों की सफाई, शुद्ध जल नर्मदा में किया अर्पित

■ इंदौर । नगर प्रतिनिधि

इंदौर की कान्ह नदी पर पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि बीते 25 वर्षों में अलग-अलग प्रोजेक्टों के माध्यम से खर्च की गई है, लेकिन अभी तक कान्ह नदी शुद्ध नहीं हो पाई है। इंदौर की प्रतिनिधि संस्था अभ्यास मंडल ने इस नदी को शुद्ध बनाने के लिए लंबे समय से अभियान चला रखा है।

इसी कड़ी में रविवार को विश्व जल दिवस के मौके पर शहर के पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णपुरा छत्री के घाट पर एकत्र हुए और नदी के घाट की सफाई की। घाट पर चारों तरफ कचरा और गंदगी पड़ी थी। अभ्यास मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पहले घाट साफ किए, फिर पानी से उन्हें धोया। इसके बाद नदी में लोटे से शुद्ध जल प्रवाहित किया। इस मौके पर मंडल से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि कान्ह नदी को साफ करना आवश्यक है, क्योंकि यह शिप्रा नदी में जाकर मिलती है। यदि कान्ह नदी दूषित होती है तो वह पवित्र शिप्रा नदी को दूषित करेगी। हर बारह वर्षों के बाद उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है और करोड़ों भक्त सिंहस्थ में शामिल होकर स्नान करते हैं। सकोरे भी वितरित किए कार्यक्रम के दौरान गर्मी में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए सकोरे (मिट्टी के बर्तन) का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर श्याम सुंदर यादव ने जल संरक्षण और कान्ह-सरस्वती नदी पुनर्जीवित करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर दिलीप वाघेला, बसंत सोनी, किशन सोमानी, निर्मल कुमरावत, इशाक चौधरी, संदीप खानवलकर, मनीष भालेराव, यश जायसवाल, सौरभ गौसर, मनीषा गौर, वैशाली खरे, रामेश्वर गुप्ता, मुरली खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन मालसिंह ठाकुर ने किया और आभार स्वप्निल व्यास ने माना।

अंबादत भारतीय स्मृति पत्रकारिता सम्मान एवं प्रेस क्लब का परिवार सम्मेलन संपन्न

■ **सीहोर । संभाग पोस्ट**

क्रिसेंट रिसोर्ट में आज अंबादत्त भारतीय स्मृति पत्रकारिता सम्मान समारोह उनकी 76वीं जयंती के अवसर पर संपन्न हुआ। यह आयोजन जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश राय के सौजन्य से आयोजित किया गया था।समारोह के मुख्य अतिथि भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर मनोज कुमार थे। अध्यक्षता जिला प्रेस क्लब सीहोर के अध्यक्ष राकेश राय ने की। विशेष अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के ख्यातिनाम ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र मिश्रा इंजीनियर बाबा थे। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम स्वर्गीय अंबादत भारतीय तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी अंबादत्त भारतीय स्मृति पत्रकारिता संग्रहालय एवं शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रघुवर दयाल गोहिया ने दी। कार्यक्रम में राष्ट्र स्तरीय सम्मान डिजिताना मीडिया ग्रुप समूह के सीएमडी सुखदेव सिंह घुम्मन वीर जी इंदौर को दिया गया। राज्य स्तरीय सम्मान गुना प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा तथा जिला स्तरीय सम्मान दैनिक स्वदेश के सीहोर जिला ब्यूरो चीफ विनीत दुबे को दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर व समागम पत्रिका के संपादक श्री मनोज कुमार अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों को निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। पत्रकारिता आम

आदमी के लिए होना चाहिए। बिना बात किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। पत्रकारिता गांधीवादी तरीके से होना चाहिए जो आज के समय में और अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। अंत में उन्होंने अच्छे आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश राय ने कहा कि सीहोर जिले के पत्रकार अपना कार्य साधनों के अभाव में भी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक उनके लिए एक छत भी उपलब्ध नहीं है। मेरा विचार है कि हमारे परिवार से अनुमति लेकर एक प्लाट पर प्रेस क्लब का एक भवन बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा सहयोग देता रहूंगा। प्लाट का चयन करने के लिए कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथियों को जल्दी ही हम जमीन भी दिखाएंगे। श्री राय की इस घोषणा का सभी पत्रकारों ने करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सुखदेव सिंह घुम्मन और राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित आनंद सिंह लोढ़ा ने भी अपनी पत्रकारिता के अनुभव साझा किये। कार्यक्रम में भोपाल, गुना, राजगढ़, विदिशा सहित सीहोर जिले के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रदीप चौहान ने किया अंत में सभी का आभार वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव ने माना।

शुद्ध मावे की मिठाइयों के निर्माता एवं विक्रेता
श्री चारभुजा स्वीट्स एवं नमकीन
गुलाब जामुन, मावाबाटी, काला जामुन, रसगुल्ला इत्यादि
662/9, नेहरु नगर, अटल द्वार, इन्दौर
शाखा : 60, न्यू देवास रोड, राजकुमार ब्रिज, इंदौर

श्री रवि इत्र सुगन्ध भण्डार
गुलाब, मोगरा, चन्दन, परफ्यूम इत्यादि के थोक एवं खेरची विक्रेता
प्रोपायटर : रवि सुगन्धी
मो. 9452665448
पताः हीरानगर, मेनरोड, सुखलिया, मिलन गार्डन के पास, इन्दौर

डॉ. हिमांशु केलकर
एम.डी., डी.सी.एच.
नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ
मो. 9202238451
क्लिनिकः 20 जी/एच., गीतांजलि अपार्टमेन्ट, मार्केट रोड, विजय नगर
स्कीम नं. 54, इंदौर (म.प्र.) Email : himanshukelkar@rediffmail.com
समय : प्रातः 10.30 से 1.30 बजे, सायं 5.30 से 8.30 बजे तक
निवास : 7-बी, शालीमार टाउनशिप, ए.बी. रोड, इंदौर

चेतन टेलर्स
(सूट स्पेशलिस्ट)
सुनिल खटके
मो. 9893118079
30/1.परदेशीपुरा, शिवधाम के सामने, इंदौर

RAVI S. SAHU
Managing Director
+91-98260-77714
स्वाद का जादू-जागे घर घर...
रवि®
मसाले बस चुटकी भर...
मसाले एवं पापड़
RAVI HOME INDUSTRIES
12, Nirmal Nagar, Piplyahana, Indore - 452 001, Ph. : 0731-2490449
Web : www.ravihomeind.com | E-mail : ravisahurhi@gmail.com

॥ श्री गणेश ॥ ॥ जय माँ भगवती ॥
सेवक राम केवट (छोटू उस्ताद)
मो. 9826012658, 9131711406
माँ नर्मदा केटरर्स
107, नार्थ मुसाखेड़ी, अजयबाग कॉलोनी, इन्दौर
शादी, पार्टी, पिकनिक, जन्मदिन पर कच्ची एवं पक्की रसोई की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु सम्पर्क करें।

अनुप यादव 9617246247
अमन यादव 7773007307 8770131488
सावित्री हार्डवेयर
सेनेटरी एण्ड पेन्ट्स
ASTRAL PIPES
92 हीरा नगर MR-10 मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.)

त्रिगुण दास बैरासी
कुलदीप बैरासी
मो. 9405852932
लक्ष्मी आप्टीशियन
सभी प्रकार के नजर व धूप के चश्मे बनाए जाते हैं
फोन : 0731-2545493
352/2, पाटनीपुरा (भेरु मंदिर के पीछे) प्रिंस टेलर के बीच वाली गली में, इंदौर

अजब इंदौर की गजब पुलिस

राऊ थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर

थानेदार का 'झूठ' अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पकड़ेंगे?

SPECIAL REPORT

नवीन गलकर

■ इंदौर। संभाग पोस्ट

अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई झोल है और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे, तो जरा ठहरिए! इंदौर में अब न्याय का नया 'अकादमिक मॉडल' लागू हो चुका है। यहाँ पुलिसकर्मियों पर लगे 'झूठ बोलने' के आरोपों की जाँच अब पुलिस विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करेंगे? इंदौर पुलिस अब 'जिम्मेदारी' से बचने के नए-नए वैज्ञानिक तरीके खोजने में विश्व रिकॉर्ड बना रही है, ताजा मामला सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर कार्यालय का है, जहाँ 'स्मार्ट पुलिसिंग' का ऐसा नमूना पेश किया गया है कि जिसे सुनकर न्यूटन भी अपनी कब्र में करवट बदल लें।

दरअसल शिकायतकर्ता ने थाना राऊ के खिलाफ मोर्चा खोला था आरोप था कि थाना राऊ ने एसीपी कार्यालय को पत्र के माध्यम से असत्य जानकारी दी हैं। राऊ पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ एसीपी गांधीनगर को शिकायत की गई, तो उम्मीद थी कि अनुशासनहीनता पर गाज गिरेगी। लेकिन पुलिस विभाग ने तो 'स्मार्ट वर्किंग' का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आवेदक ने जब आर.टी. आय. लगाई कि मेरी शिकायत का क्या हुआ, तो एसीपी निधि सक्सेना के कार्यालय से जवाब आया कि, शिकायत की जाँच देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से कराई जाना उचित होगा। वाह साहब! अगर पुलिसकर्मी थाने में सोता मिले, तो क्या इसकी जाँच 'नींद अनुसंधान केंद्र' करेगा? साहब, शिकायत पुलिस की कार्यशैली पर है, कॉलेज की मार्कशीट पर नहीं! इस तर्क के हिसाब से तो कल को अगर पुलिस रिश्वत ले, तो उसकी जाँच 'हलवाई' से करानी चाहिए क्योंकि पैसा तो मीठा होता है! शिकायत पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को गलत जानकारी देने की थी, तो इसकी जाँच विश्वविद्यालय कैसे करेगा? अब डी.ए.वी.वी. के कुलपति महोदय राऊ थाने के स्टाफ की मार्कशीट बनाएंगे और उन्हें 'झूठ बोलने' के विषय में 100 में से 100 अंक देंगे?

एसीपी निधि सक्सेना

इंदौर पुलिस का यह रवैया साफ़ कर रहा है कि वे अपने मातहतों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें खुद का मज़ाक क्यों न उड़वाना पड़े। अब शिकायतकर्ता इस जवाबी पत्र को आधार बनाकर डी.ए.वी.वी. के पास जाने की तयारी में है। इंतजार इस बात का है कि कब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राऊ थाने में जाकर पुलिसकर्मियों का 'वाइवा' लेना शुरू करेंगे!

होटल संचालकों ने सरकार को घेरा

बोले- 20% नहीं हमें चाहिए 50% गैस सिलेंडर, ठप हो गया धंधा

■ इंदौर। संभाग पोस्ट

मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की कमर तोड़ दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण देश में गैस आपूर्ति बाधित हुई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत में आपूर्ति बंद करने के बाद इसे 20 प्रतिशत तक बहाल करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर यह राहत अब तक व्यवसायियों तक नहीं पहुंच सकी है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी ने खाद्य आपूर्ति सचिव रश्मि अरुण शमी से भोपाल में संपर्क किया। प्रदेश भर के होटल संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि केंद्र के 20 प्रतिशत आपूर्ति के आदेश के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर वितरण व्यवस्था ठप पड़ी है। सूरी ने कहा हमने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें मदद मिलेगी। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिशन से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। सभी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सुमित सूरी के अनुसार संगठन की प्रमुख मांग है कि वर्तमान 20 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए ताकि व्यवसायों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा उन्होंने एक नया प्रस्ताव भी रखा है कि सभी संस्थानों के लिए आपूर्ति का एक समान नियम नहीं होना चाहिए। होटलों की श्रेणी और उनकी मांग के आधार पर गैस का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।

कार्यालय पताः 201, दूसरी मंजिल, इंदौर प्रेस क्लब परिसर, एम.जी. रोड, (जिला न्यायालय के सामने), इंदौर (म.प्र.),
स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक नवीन गलकर द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं ए-119, वीणा नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः नवीन गलकर, मो. 9009919948